

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

(कानूनी नियम और आदेश)

¹[प्ररूप 2

(नियम 7 देखिए)

सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यदि सशस्त्र बलों में मेरी सेवा न होती तो मैं

गृह सं.....
गली/मोहल्ला
परिक्षेत्र
नगर/ग्राम
डाकघर
पुलिस थाना.....
तहसील/तालुका
जिला.....
राज्य.....में मामूली
तौर से निवासी होता।

मेरा पूरा नाम
सेवा सं.पंक्ति
सेवा/ कोर/ रेजिमेंट
अभिलेख कार्यालय का नाम और पता
पिछले जन्म दिन पर आयु वर्ष.....
*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी
जिसकी आयु वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख20 हस्ताक्षर

अभिलेख कार्यालय सत्यापित किया और ठीक पाया गया
फो. सं. (हस्ताक्षर)
स्थान (पदाभिधान)
तारीख अभिलेख भारसाधक आफिसर

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन20 को प्राप्त हुआ
.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं.) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं.
..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

.....
²[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर] ।]

तारीख 20

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

¹अधिसूचना सं. का. आ. 3667, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

²अधिसूचना सं. का. आ. 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।